150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एस्टे / डीईएस / मंत्रा / अ.अ. / 115 / 13 दिनांक 04/01/2021

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित मंत्रालयिक कार्मिकों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

क्र.स.	नाम कर्मचारी श्री / श्रीमती / सुश्री	विभाग / कार्यालय का नाम	परीक्षा / प्रतियोगी परीक्षा विवरण
1	2	3	4
1.	मोहित सिंह राठौड	निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी, जयपुर	RSCIT परीक्षा–2020
2.	सत्यम सिंह	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजसमन्द	Bureau of Indian Standars, IBPS Officer Scale-1, SBI – PO परीक्षा,
3.	विकास कुमार मीणा	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, रानीवाडा, जालौर	एम. ए. वीएमओयू कोटा,
4.	राजकुमार असवाल	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, देवगढ, राजसमन्द,	स्टनोग्राफर भर्ती परीक्षा–2018, पटवार भर्ती परीक्षा–2019, अन्वेषक भर्ती परीक्षा–2019, एस.एस.सी. स्टेनोग्राफर परीक्षा, रेल्वे एन.टी.पी.सी. परीक्षा,

नोटः– अग्रिम अध्ययन हेतु शर्ते निम्नांनुसार हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी तथा नियमित अध्ययन की स्वीकृति प्रदान नही की जाती है।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाऐगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
7. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
8. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणो से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(मिसाराम प्रजापत)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
2. संबधित विभाग...
3. संबधित कार्मिक श्री/श्रीमती..
4. निजी/रक्षित पत्रावली

(सुभाष चन्द शर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)